

छत्तीसगढ़ शासन
पुलिस विभाग

पुलिस थाना - राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एन्टीकरण ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर।

दिनांक - 12.2.15 के 12.40 बजे.

तलाशी के समय उपस्थित रहने और गवाही देने के लिये गवाहों को बुलाने का आदेश पत्र

(धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

नाम गवाहन :-

Legat

Quam

1. आशुतोष कुमार खन्ना श्री सुधाकर राम 4.2 साल
सहायक प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय पाटन
घर- प्लॉट-14 प्रियंका नगर विखाली जि. दुर्ग
9424115102
2. अजय कुमार खन्ना श्री एल. एन. खन्ना
इ. ए. ए. साल 2010, व्याख्याता, ए. एस. 30 भा. विद्यालय
जोन-2 सेक्टर-11 कुर्सी पार पुर- क्वार्टर 3/B
सड़क-15 सेक्टर-1 मिलाड
9826468280

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निम्न स्थान की तलाशी लेने वाला हूँ साक्षी स्वरूप आपका वहाँ उपस्थित रहना आवश्यक है।

अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मैं आदेश देता हूँ कि आप उक्त तलाशी की गवाही के लिये मेरे समक्ष निम्नलिखित स्थान पर उपस्थित हों :-

स्थान :-

मागखिआपूर्ति निगम कार्यालय, अंबलिबेरा
हतिवाट परिसर रायपुर

तारीख :- 12.2.15

12.2.15
हस्ताक्षर एवं पद

विकास चन्दा
पुलिस अधीक्षक
रायपुर

नोट :-

इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अधीन
दण्डनीय अपराध है।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/एस.टी.
रायपुर (छ.ग.)